न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या– 1, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारीः अखिलेश कल्याण, जिला न्यायाधीश संवर्ग
जमानत याचिका संख्या –327/2026
सी.एन.आर. नंबर –RJSM070009472026

दिलीप पुत्र बनेसिंह उम्र 22 साल, निवासी परीता थाना कुडगांव जिला करौली, राज.।
.......प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य प्रत्यर्थी

प्रार्थना पत्र जमानत अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.
एफ.आई.आर. संख्या 183/2026 पुलिस थाना गंगापुरसिटी
अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संख्या	**प्रथम**
घटना की दिनांक	03.08.2026 से 04.08.2026
अभियुक्त की गिरफ्तारी की दिनांक	03.08.2026

उपस्थितिः–
1. श्री मीत कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री नवीन कुमार शर्मा, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश **दिनांक 06.08.2026**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस का जमानत आवेदन उनके अधिवक्ता ने न्यायालय में पेश किया। नकल अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई। बहस जमानत सुनी गई।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस में तर्क किए हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध से कोई सम्बन्ध नहीं है, उसे झूंठा फंसाया गया हैं, प्रार्थी/अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है। मुकदमे के अन्वेषण व विचारण में काफी लम्बा समय लगने की संभावना है, तब तक प्रार्थी/अभियुक्त की न्यायिक हिरासत कतई गैर जरूरी है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा गवाहान को डराने धमकाने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रकरण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

जबकि अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध निम्न आपराधिक रिकॉर्ड होना जाहिर किया–

क्र. सं.	मुकदमा नंबर मय थाना	अपराध अन्तर्गत धारा	चार्जशीट विवरण	न्यायालय निर्णय
1	48/24 थाना उदेई मोड गंगापुरसिटी	420, 467, 468 भा.दं.सं.	53/20.07.24	जेर ट्रायल

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी रामबाबू स.उ.नि. ने पुलिस थाना गंगापुरसिटी से मय मुलाजमान के वास्ते लोकल व स्पेशल एक्ट कार्यवाही हेतु थाना से रवाना होकर मुखबिर खास की सूचना समय करीब 10 पीएम पर रेल्वे कॉलोनी सामुदायिक भवन पुलिस थाना गंगापुरसिटी के पास एक लडका आता हुआ दिखाई दिया, जिसे हमराहीयान जाप्ता की मदद से पकडकर नाम पता पूछा तो व्यक्ति ने अपना नाम दिलीप पुत्र बनेसिंह होना बताया। व्यक्ति की तलाशी ली गई तो दौराने तलाशी उसके शोर्ट नेकर की बांयी आंट की तरफ एक देशी अवैध कट्टा 12 बोर व शोर्ट नेकर के बांयी जेब में 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर मिले। जिनको अपने कब्जे में रखने व लाने ले जाने वावत व्यक्ति से लाइसेंस व अनुज्ञापत्र वावत पूछा तो अपने पास कोई वैध लाइसेंस व अनुज्ञापत्र नही होना

बताया। बाद कार्यवाही अवैध देशी कट्टा मय कारतूस जब्त किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया.......... इत्यादि पर पुलिस थाना गंगापुरसिटी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 183/2026 अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक **03.08.2026** को गिरफ्तार किया गया। जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुरसिटी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 480 भा० ना० सु० सं० दिनांक **04.08.2026** को खारिज कर दिया गया है।

उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया और पुलिस थाना गंगापुरसिटी की ओर से प्रस्तुत अनुसंधान पंजिका व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिससे यह दर्शित हुआ है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को अपराध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोप हेतु दिनांक **03.08.2026** को गिरफ्तार किया गया है, तभी से प्रार्थी/अभियुक्त, पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष होना नहीं बताया गया है तथा प्रकरण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जिसके अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रकरण के उक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थी/अभियुक्त **दिलीप** के द्वारा प्रस्तुत उक्त जमानत आवेदन अंतर्गत धारा **483 बी.एन.एस.एस.** स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त पचास हजार रूपये का स्वयं का मुचलका एवं व पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो जमानत इस न्यायालय में प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित आने बाबत पेश कर तस्दीक करावे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जावे।

(अखिलेश कल्याण)
अपर सेशन न्यायाधीश सं. 1, गंगापुर सिटी

आदेश आज दिनांक 06.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(अखिलेश कल्याण)
अपर सेशन न्यायाधीश सं. 1, गंगापुर सिटी